ट्रांसजेंडर को रोजगार देना

एक और तनाव बिंदु,पति को भगवान का अवतार मानने की धार्मिक सख्ती– अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सामाजिक और धार्मिक बंधन और महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति उन्हें बाहर काम करने से रोकती है। ज्यादातर महिलाएं घर पर ही रहना पसंद करती हैं।

आरती सिंह।।

कामकाजी और गैर–कामकाजी महिला की अवधारणा को स्पष्ट करने की जरूरत है। दरअसल, गैर–कामकाजी महिलाओं की अवधारणा गलत है। चाहे वे बाहर काम करें या न करें, जीवन के सभी चरणों में महिलाओं के लिए गृहिणी की भूमिका अनिवार्य है।

महिला की पारिवारिक जिम्मेदारी, महिला से अपेक्षाएं और मांगें इतनी हैं कि उन्हें घर को स्वर्ग या नरक बनाने के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से जिम्मेदार माना जाता है– पुरुष घर को स्वर्ग या नरक बनाने के रडार से बाहर सुरक्षित है। जहां एक पुरुष काम के बाद आराम करने और आनंद लेने के लिए घर आता है, वहीं महिला डबल शिफ्ट में काम करने के लिए घर आती है। एक और तनाव बिंदु दृ पति को भगवान का अवतार मानने की धार्मिक सख्ती– अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सामाजिक और धार्मिक बंधन और महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति उन्हें बाहर काम करने से रोकती है। ज्यादातर महिलाएं घर पर ही रहना पसंद करती हैं।

दूसरी ओर, सकल घरेलू उत्पाद में गृहिणी के योगदान को ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह बचत है, न कि कमाई। वास्तव में, इस पर भी बहस हुई और गृहिणी की तुलना एक अनुत्पादक वर्ग से की गई। उसके पूरे जीवन को एक गैर–कामकाजी जीवन के रूप में माना जाता है जो अत्यधिक अपमानजनक है। गृहिणी के योगदान को सजावटी भाषणों में ही पहचाना जाता है जब कोई सफल व्यक्ति होता है। अन्यथा, उसे 'मिसेज सो एंड सो' या 'बेटर हाफ' या पेंशन पाने वाली विधवा की स्थिति से संतुष्ट होना पड़ता है। लेकिन एक गृहिणी को घर पर काम करने और आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह विचार करने का विषय होगा कि क्या मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव पर महिलाएं घर से कुछ कार्यालय का काम कर सकती हैं।

ट्रांसजेंडरों को सुरक्षा और व्यापक सतर्कता के लिए नियोजित किया जा सकता है। इससे जनता द्वारा महिला पुलिस बल पर हमले और पुरुष पुलिस बल द्वारा महिलाओं पर हमले की दो शिकायतों का समाधान हो सकता है। इससे ट्रांसजेंडर की गरिमा और रोजगार की मांग भी पूरी होगी। इसके अलावा, हम विकास और समृद्धि के लिए सभी मानव संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दरअसल मुगल काल में इन ट्रांसजेंडरों ने अच्छा काम किया था।

हर महिला को संकल्प लेना चाहिए कि वह कम से कम 10 महिलाओं की मदद करेगी, प्रकाश की तरह बनेगी, ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी, परिवार को छाया देने वाले फलदार वृक्ष की तरह बनेगी। महिलाओं को यह भी समझना होगा कि असली शक्ति भीतर से आती है। 'आदिशक्ति' नामक शाश्वत ऊर्जा के कण होने के नाते, उनमें वह आग, वह चिंगारी होनी चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ने, मुख्यध ारा में शामिल होने और परिवार, राज्य और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने की ऊर्जा होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण प्रभाव

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत ज्ञान सामान्य रूप से, उसके परिवार और उसके आस–पास की संस्कृति के साझा ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि परंपरा का व्यक्ति के धार्मिक ज्ञान के निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, व्यक्ति के अनुभव भी इस ज्ञान के गठन, समेकन या सत्यापन को प्रभावित करते हैं। लेकिन अंततः, धर्म एक साझा ज्ञान है क्योंकि समारोह और सांप्रदायिक परंपराएं एक ही धर्म के विश्वासियों के समुदाय में सामंजस्य के कार्य को पूरा करती हैं। असंख्य श्रद्धालु शिव लिंग के उपर जल अभिषेक करके वह अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना करके शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विश्व स्तर पर भगवान शिव शंकर के असंख्य शिव लिंग व शिव मन्दिर है। जो स्वयं ही अलौकिक शक्तियों से सुसज्जित व साक्षात भोलेनाथ महादेव का ज्योति स्वरूप है।

संपादकीय

अंतहीन बहसें

अब हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले के खिलाफ की गई अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या में गलती की है। हाईकोर्ट ने इस बात को भी नहीं देखा कि निजता के अधिकार के तहत हिजाब पहनने का अधिकार मिला हुआ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि हिजाब अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है। गौर करने की बात है कि अनुच्छेद–19 (1)(ए) के तहत हिजाब पहनना अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसके साथ ही अनुच्छेद–25 के तहत यह धार्मिक प्रैक्टिस के दायरे में आता है। जाहिर है इन मुद्दों के कई जटिल कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं और ये विभिन्न धर्मों से जुड़े हैं। इन पर न केवल इन धर्मों के दायरे के अंदर बहस चलती रही है बल्कि संवैधानिक अधिकारों से जुड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जब अपना नजरिया स्पष्ट करेगी तो अंतहीन सी बहसों पर विराम लग सकेगा।

मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद सुनवाई का फैसला किया है।

हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं

राजेश चौधरी।।

सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामला पहुंच गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। उसने स्कूल–कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर लगाए गए राज्य सरकार के बैन को बरकरार रखा। मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद सुनवाई का फैसला किया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले ऐसे कई मामले हैं, जिनमें उसे संवैधानिक सवालों के जवाब देने हैं। इनमें सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, अग्नि मंदिर में गैर पारसी से शादी करने वाली महिलाओं के प्रवेश, दाउदी बोहरा समुदाय की महिलाओं के खतने और मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित मामले शामिल हैं।

14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली संवैधानिक बेंच ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और पारसी महिलाओं के अन्य समुदाय में शादी के बाद अग्नि मंदिर में प्रवेश पर रोक जैसे मामले भी लार्जर बेंच को रेफर किए थे। इन सब पर सुनवाई होनी है। दरअसल 28 दिसंबर 2018 के

अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम एक से दिए बहुमत के फैसले में कहा था कि 10 साल से लेकर 50 साल की उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर बैन लिंग के आधार पर भेदभाव वाली प्रथा है और यह हिंदू महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन करती है। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई। रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के दौरान तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच ने तीन बनाम दो के बहुमत से मामले को लार्जर बेंच में रेफर कर दिया था। वहीं, मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया। 25 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं को देश भर की तमाम मस्जिदों में प्रवेश दिया जाए क्योंकि यह रोक अवैध, असंवैध ानिक और समानता के अधिकार, जीवन के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अर्जी में कहा गया है कि कुरान और हदीस में लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दाऊदी बोहरा समुदाय में बच्चियों का खतना कराने की परंपरा को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 8 मार्च 2017 को केंद्र के साथ–साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बच्चियों का खतना कराने की यह परंपरा मानवाधिकारों और बाल अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं पारसी महिलाओं के अग्नि मंदिर में प्रवेश का मामला भी सुनवाई के दायरे में होगा। परंपरा के मुताबिक अगर कोई पारसी महिला गैर पारसी से शादी कर लेती है तो उसका अग्नि मंदिर में प्रवेश वर्जित हो जाता है।

14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली संवैधानिक बेंच ने सबरीमला मामला लार्जर बेंच को रेफर करते हुए कहा था कि इस तरह की पाबंदियां अन्य धर्मों में भी हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसका निराकरण करना है और ऐसे मामलों में जुडिशल नीति तय करनी है।

सूडोकु नवताल-5406

सरल

6					7			
		8	2				7	5
	4			3				6
	7	1			2		5	
8				4				3
	2		8			9	6	
2				8			3	
4	3				9	8		
			3					9

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5405 का हल

7	4	6	9	1	5	8	3	2
1	5	2	8	3	7	4	6	9
9	3	8	2	6	4	7	1	5
8	6	4	7	9	1	5	2	3
5	2	7	3	4	6	9	8	1
3	9	1	5	8	2	6	7	4
2	7	9	1	5	8	3	4	6
6	1	5	4	7	3	2	9	8
4	8	3	6	2	9	1	5	7

अपना ब्लॉग

नैतिकता का दायरा क्या है?

मोहन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लार्जर बेंच का जो फैसला होगा उससे कई मुद्दों पर विराम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के सामने 7 सवालों को रेफर किया। इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच अपना नजरिया पेश करेगी। ये सवाल हैं– एक, अनुच्छेद–25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा क्या है? दो, अनुच्छेद–25 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म और पंथ के निहितार्थ क्या हैं? तीन, क्या किसी को अनुच्छेद–26 के तहत मिले धार्मिक अधिकार संविधान के पार्ट –3 के तहत पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य पर निर्भर हैं? चार, अनुच्छेद–25 व 26 के तहत नैतिकता का दायरा क्या है? पांच, अनुच्छेद–25 के तहत धार्मिक प्रैक्टिस का जो अधिकार है उसके जुडिशल रिव्यू का दायरा क्या है? छह, 'हिंदुओं' से क्या मतलब है? सात, जो व्यक्ति किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखता है क्या वह जनहित याचिका के माध्यम से उस धर्म या उस धर्म के प्रैक्टिस पर सवाल उठा सकता है?